

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:-0744-2325871

GCMS NO.-2017/00190

मिसल नम्बर-68/2017

- 1.श्याम सुन्दर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
- 2.ओमप्रकाश आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
- 3.सत्यनारायण आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
- 4.गणेश शंकर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
- 5.लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीगण- कैथून तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1.रामकरण पुत्र प्रताप
- 2.राधेश्याम पुत्र प्रताप
- 3.घनश्याम पुत्र प्रताप
- 4.रमेश चन्द्र पुत्र प्रताप
- 5.शान्ति पुत्री प्रताप जाति धाकड़ निवासीगण- कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
- 6.मधुसुदन आत्मज बजरंग लाल जाति धाकड़ निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
- 7.बाबूलाल आत्मज बजरंग लाल जाति धाकड़ निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
- 8.गणपति बाई पत्नि बजरंग लाल जाति धाकड़ निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
9. रामावतार आत्मज राम गोपाल
- 10.रामप्रसाद आत्मज रामकरण
- 11.अशोक कुमार आत्मज रामकरण
- 12.चन्द्र प्रकाश आत्मज रामकरण
- 13.कृष्णा पुत्री रामकरण
- 14.सुनिता पुत्री रामकरण जाति धाकड़ निवासीगण कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
- 15.देव कृष्ण आत्मज गजानन्द गुर्जर निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
- 16.राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

-अप्रार्थीगण

-:निर्णय:-

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र।)

उपखण्ड अधिकारी  
कोटा



दिनांक 12/1/2026

उपस्थित-

1. श्री सुधिन्द्र यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापत अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 5
3. श्री श्रेय आहुजा अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम 6
4. सरकार पैरोकार उप0।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी की ओर से जय अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 692 रकबा 0.69 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 693 रकबा 2.50 हैक्टर वाके ग्राम कैथून मे स्थित है। खसरा नम्बर 694 प्रतिवादी नम्बर-1 लगायत 5 के खाते दर्ज है, तथा खसरा नम्बर 696 प्रतिवादी नम्बर 6 के खाते दर्ज है, तथा खसरा नम्बर 697/2180 प्रतिवादी नम्बर-7 व 8 के खाते दर्ज है तथा खसरा नम्बर 698 प्रतिवादी नम्बर-9 लगायत 14 के खाते दर्ज है, तथा खसरा नम्बर 699/2181 प्रतिवादी नम्बर 15 के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण को स्वयं के खसरा नम्बर 692, 693 में आने जाने के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 15 के खेत मे होकर मेड के सहारे से आना जाना पडता है उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है जिसमें प्रार्थीगण प्रतिवादी नम्बर-1 लगायत 15 के खेत में से जाने के लिए नया रास्ता कायम करवाना चाहते है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से आम रास्ते के रूप में करते आ रहे है तथा अपने कृषि यंत्र, फसल, ट्रेक्टर आदि लेकर आते जाते है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते है परन्तु प्रतिवादी नम्बर-1 लगायत 15 उक्त रास्ते में आये दिन व्यवधान उत्पन्न करते है। दिनांक 08.10.2017 को भी प्रार्थीगण उक्त रास्ते से अपने ट्रेक्टर व कमाईण्डर मशीन लेकर जाने लगे तो प्रतिवादी नम्बर-1 लगायत 15 द्वारा उक्त रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करते हुए कहा कि हम आपको उक्त रास्ते से नही आने जाने देंगे, क्योंकि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में हमारे खाते दर्ज है जो कि आम रास्ता नही है, परन्तु प्रार्थीगण पिछले काफी वर्षों से उक्त रास्ता जो प्रतिवादी नम्बर-1 लगायत 15 के खाते दर्ज है का उपयोग करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता अंकित नही होने के कारण प्रतिवादी नम्बर -1 लगायत 15 आने जाने में व्यवधान उत्पन्न कर देते है, इसलिए प्रार्थीगण के लिए कोई दुसरा बिकल्प आअपने खेत में रास्ते के लिए उपलब्ध नही होने के कारण प्राथीगण को प्रतिवादी नम्बर-1 यत 15 के खाते की उक्त भूमि जिसका उपयोग प्रार्थीगण रास्ते के रूप मे करते आये है, राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है। दिनांक 8.10.2017 को भी प्रतिवादी नम्बर-1 लगायत 15 ने प्रार्थीगण को उक्त आम रास्ते जो उसके खाते दर्ज है प्रार्थीगण को नही निकलने देने की धमकी दी और कहा कि हम उक्त रास्ते को बन्द कर देंगे और तूम लोगो मे किसी भी सूरत में हमारे खेत मे होकर आने जाने नही देंगे। यदि प्रतिवादी नम्बर-1 लगायत 15 उक्त

उपखण्ड अधिकारी  
कोटा



कार्य में सफल हो गये और प्रार्थीगण का रास्ता अवरुद्ध हो जावेगा जिससे प्रार्थीगण को काफी हानि उठानी पड जाऐगी। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 694, 696, 697, 697/2180, 698, 699/2181 पर आम रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 692, 693 में आने जाने के लिए प्रतिवादीगण के खाते दर्ज खसरा नम्बर 694, 696, 697, 697/2180, 698, 699/2181 पर राजस्व रिकार्ड में नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा नक्शा लटठा में भी रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया।

अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 6 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गए परन्तु अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 6 कि ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया अतः अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 6 का जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी क्रम 16/तहसीलदार लाडपुरा से तत्थ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी/प्रार्थी के परिवारगणों द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है जिसकी प्रतिलिपी (गिरदावरी) साथ में संलग्न है। उक्त आराजी प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवाजनों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड हैं एवं उक्त आराजी में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्या) कोटा में मुकदमा नं0 106/19 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में जैरकार है।

हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) RRT 440, 2018(2) RRT1193, 2018(1) RRT 706 पेश किए गए।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा प्रार्थीगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि विवादित आराजी खसरा नं0 692, 693 पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पहुंच का मार्ग उपलब्ध है। मौके पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व

  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा



प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू व प्रचलित था।

चूंकि प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अतः उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।



(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा  
कोटा